न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजांवत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 297/2022

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. चुन्नीलाल पुत्र बीरमराम 2. आदूराम पुत्र बीरमराम (जाति विश्नोई निवासी ग्राम माणकलाव तह0 व जिला जोधपुर)		1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर **प्रफोर्मा प्रत्यर्थी–** 2. सहीराम पुत्र गोपाराम 3. तुलछाराम पुत्र गोपाराम 4. भगवानराम पुत्र गोपाराम 5. लक्ष्मणराम पुत्र गोपाराम 6. देवाराम पुत्र गोपाराम 7. राणाराम पुत्र बीरमराम 8. सजना पुत्री बीरमराम 9. सोनी पुत्री बीरमराम 10. माडू पुत्री बीरमराम (जाति विश्नोई निवासी माणकलाव तह0 व जिला जोधपुर)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी जोधपुर आदेश दिनांक 27.02.2019

उपस्थिति –
1. श्री लाधूराम पूनिया, अशोक कुमार वकील अपीलांट
2. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1 की ओर से
3. श्री रामगोपाल, रेस्पो0 सं0 2 से 7 की ओर से
4. शेष रेस्पो0 बावजूद सूचना व नोटिस तामिल के अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 27.05.2024

प्रस्तुत अपील प्रकरण के तथ्य मुख्यतः इस प्रकार से है कि उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.02.2019 के द्वारा तहसीलदार जोधपुर द्वारा प्रस्तावित राजस्व ग्राम माणकलाव के उल्लेखित खसरान की भूमि में रास्ते में उपयोग हो रही उल्लेखित हैक्टर भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता परिवर्तित करने एवं नक्शा (लटठा) ट्रेस में दुरस्ती एवं राजस्व रेकर्ड में विद्यमान कदीमी रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जो न्यायहित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी। दौरान सुनवाई वकील अपीलांट ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया गया कि अपीलाधीन आदेश में अपीलांट्स के खसरा नम्बर 10/1 में से 1.10 बीघा एवं सामलाती खसरा नं0 5 में से 0.09 बीघा भूमि को गै0मु0 रास्ता घोषित किया गया है। जिसके चारो तरफ बाडमाठ है व मौके पर रास्ता चालू नही है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर नही दिया गया और न ही उससे सहमति ली गई। उक्त प्रार्थना पत्र रेस्पो0सं0 1– तहसीलदार द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.8.16 के तहत प्रस्तुत किया गया, जो कि एक निश्चित समयावधि के लिए ही था। आरएलआर एक्ट की धारा 132 में केवल राजस्व अभिलेख की दर्ज प्रविष्टि को आगे की जमाबंदी में अंकन करते समय रही भूल को दुरूस्ती करने का सहमति से आदेश दिया जा सकता है। खातेदारान की खातेदारी धारा 63 राज0 काश्तकारी अधिनियम के अलावा समाप्त नही किए जा सकते है। अतः बिना विधिक प्रकिया अपनाये पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.2.19 तथा उसके पश्चातवर्ती पारित किए गये आदेश एवं प्रविष्टियों को निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0 सं0 2 से 7 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित खातेदारो को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है। अतः विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि पटवार मण्डल माणकलाव मे गश्त गिरदावरी कार्यकम की सूचना दिनांक 8.9.16 को जारी की गई थी। मौका फर्द दिनांक 30.11.16 के अनुसार मौके पर रास्ता मौजूद है। तथापि प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मतः निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त कार्यवाही तहसीलदार जोधपुर से प्राप्त प्रस्ताव पर की गई है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित खातेदारों को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर नही दिया जाना पाया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 66/2017 में पारित

अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.02.2019 को अपीलांट के ख0नं0 5 एवं 10/1 की रकबा भूमि तक निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट्स एवं सभी संबंधित खातेदारों को नोटिस जारी कर उनकी उपस्थिति में मौका निरीक्षण एवं मौका फर्द तैयार करवाकर, यदि मौके पर रास्ता चालू है तो उसे बंद किये बिना, उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 27 मई, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

27.05.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर